Pearsh

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0 :–2/अ०प्र०–1–01/24 918 /पटना, दिनांक :– 3/4/2024

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत कार्य प्रमंडल जमुई के अधीन स्वीकृत एवं निर्माणाधीन पथ "अमीन खैरा पथ से ढ़ाब" की अधीक्षण अभियंता, शोध एवं विकास की अध्यक्षता में गठित जॉच दल द्वारा दिनांक–31.12.2023 को की गई निरीक्षण में पथ का कार्य निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाया गया। अधीक्षण अभियंता, शोध एवं विकास के पत्रांक शून्य दिनांक 02.01.2024 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के अनुसार पथ के अलग–अलग चैनेजों पर SDBC कार्य का एकत्र Sample की क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग, पटना के जॉचफल में पथ के तीन पथांश यथा Ch-0.000km, 0.210km एवं Ch-2.450km पर क्रमशः 3.98%, 2.96% तथा 3.19% बिटुमेन की मात्रा पायी गई, जो प्रावधानित मात्रा (5%) के अनुरूप नहीं है। उक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में पथ निर्माण कार्य में पायी गयी अनियमितता के लिए श्री प्रकाश चन्द्र बादल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई से विभागीय पत्रांक–31 दिनांक–04.01.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई।

श्री बादल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक–05.01.2024 में उल्लेख किया गया कि इनके द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण किया गया तथा संवेदक को आवश्यक निर्देश दिया गया था। साथ ही MBD की कंडिका–41.2 का उल्लेख करते हुए उत्तरदायित्व संवेदक के ऊपर डाला गया।

मामले की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि पथ के निरीक्षण के दौरान तीनों पथांशो यथा Ch-0.000km, 0.210km एवं Ch-2.450km पर क्रमशः 3.98%, 2.96% तथा 3.19% बिटुमेन की मात्रा पायी गई, जो प्रावधानित मात्रा (5%) से कम है। श्री बादल द्वारा अपने स्पष्टीकरण में पर्यवेक्षण करने का जिक्र किया गया है परन्तु पर्यवेक्षण किस तिथि को किया गया है, इससे संबंधित साक्ष्य/अभिलेख संलग्न नहीं किया गया। संवेदक को उत्तरदायी ठहराते हुए श्री बादल द्वारा अपनी जवाबदेही से बचने का प्रयास किया गया है। इससे स्पष्ट है कि श्री बादल द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण समुचित ढंग से नहीं किया गया है तथा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है। अतएव श्री प्रकाश चन्द्र बादल, कनीय अभियंता के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्री प्रकाश चन्द्र बादल, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जमुई को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में प्रकाश चन्द्र बादल, कनीय अभियंता का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री बादल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1) के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

28/3/24

(डॉ0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–01/24 918 /पटना, दिनांकः– 3/4/2024

प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, जमुई/बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–1–01/24 918 /पटना/दिनांकः– 3/4/2024

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, जमुई/पश्चिमी चम्पारण/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/बेतिया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई/प्रशाखा पदाधिकारी–4/श्री प्रकाश चन्द्र बादल, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–01/24 918 /पटना/दिनांकः– 3/4/2024

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–01/24 918 /पटना/दिनांकः–3/4/2024

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/3/24

संयुक्त सचिव

57 आई०टी०मैनेजर

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@nic.ir